



KANNAUJ POLICE



दिनांक:-24.09.2023

प्रेस विज्ञप्ति – थाना तिर्वा

एस0ओ0जी0 टीम/सर्विलान्स टीम/थाना तिर्वा द्वारा दिनांक 12.09.2023 को सुपारी देकर करायी गयी हत्या में संलिप्त 05 अभियुक्त गिरफ्तार, हत्या कराने वाला ही निकला मृतक का भतीजा।

दिनांक 13.09.2023 को एक व्यक्ति का शव एक्सप्रेस वे पर किमी0 संख्या-163 पर रोड के नीचे पड़ा मिला, जिस सम्बन्ध में थाना तिर्वा पर मु0अ0सं0-505/23 धारा-302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज श्री अमित कुमार आनन्द के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 श्री अरविन्द कुमार के मार्गदर्शन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिर्वा श्री शिवप्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में उक्त घटना के अनावरण हेतु निरीक्षक मदन गोपाल गुप्ता प्रभारी थाना तिर्वा एवं उ0नि0 कमल भाटी प्रभारी एस0ओ0जी0 को मय टीम लगाया गया। दिनांक 23.09.2023 को टीम द्वारा नथापुरवा गांव की ओर जाने वाले मोड़ के खड़ी सिल्वर रंग की मारुति एसकोस कार एच0आर0 26 डीबी0 4051 से अभियुक्तों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-राजेश पुत्र बदन सिंह नि0 टुसावारी थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।
- 2-धर्मवीर पुत्र जनार्दन भगत नि0 माडल टाउन मकान नं0-442 थाना भटिण्डा पंजाब।
- 3-अभिषेक पाण्डेय पुत्र ज्ञानेन्द्र पाण्डेय मूल निवासी ग्राम अबहीपुर थाना परसपुर गोण्डा हाल पता म0नं0 185 गली नं0-5 नई बिसलेवा कालोनी अपोजिट ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा।
- 4-गौरव कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 पैगल्टू थाना होडल जिला पलवल हरियाणा।
- 5-शुभम उर्फ नवीन पुत्र सतवीर नि0 पैगल्टू थाना होडल जिला पलवल हरियाणा।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि मृतक दो भाई थे शिवनाथ एवं बदन सिंह, बदन सिंह के दो लड़के हैं राजेश एवं विमलेश, उक्त राजेश ने अपने पिता की सारी सम्पत्ति अपने दूसरी पत्नी शकुन्तला के नाम करा दी थी, जिसमें आपत्ति विमलेश ने लगा रखी थी और मामला कोर्ट में चल रहा था, राजेश का यह मानना था कि विमलेश का साथ शिवनाथ दे रहा था और यदि इसे रास्ते से हटा दिया जाये तो सम्पत्ति हथियाने का उसका मंसूबा पूरा हो जायेगा। इसी बात को लेकर राजेश एवं शिवनाथ का पूर्व में झगडा भी हो चुका था। राजेश की पुत्री अंजली जो दिल्ली में रहती थी उससे एक डेटिंग एप के माध्यम से धर्मवीर से मुलाकात हुई, अंजली ने धर्मवीर को अपने माँ बाप से मिलवाया और शादी की बात रखी जिस पर अंजली का परिवार शादी के लिए तैयार हो गया, राजेश ने अपने जमीन का मामला धर्मवीर को बताया और शिवनाथ को मारवाने के लिए पैसे की बात की। धर्मवीर इस बात पर तैयार हो गया और उसने अपने मित्र अभिषेक पाण्डेय से कहा कि एक आदमी को मारना है, जिसमें 4 लाख रुपये मिलेंगे। अभिषेक पाण्डेय को आफर अच्छा लगा और उसने शिवनाथ की हत्या करने के लिए अपने साथ काम करने वाले लड़के गौरव को 2 लाख का आफर दिया और मारने की योजना बनायी। दिनांक 23.05.2023 को धर्मवीर अपने साथ गौरव को लाया था और मृतक शिवनाथ का घर रास्ता आदि दिखा दिया था। दिनांक 01.06.2023 को सुनियोजित योजना के तहत गौरव ने फरीदाबाद से गाडी बुक करके आये और अपने साथियों के साथ शिवनाथ को मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवनाथ द्वारा शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोग जग गये, गांव के लोगो के जगने के डर से ये लोग वापस आ गये। उक्त राजेश एवं धर्मवीर के द्वारा अभिषेक पाण्डेय को मृतक शिवनाथ की नित्यक्रिया से अवगत कराया गया था और अभिषेक द्वारा गौरव एवं इसके अन्य साथियों को इस बात से भली भांति अवगत करा दिया गया था कि मृतक शिवनाथ रोजाना 5-6 सांय बजे के बीच कन्नौज तिर्वा रोड पर स्थित घासी बाबा मन्दिर पर पूजा करने जाते थे, अभिषेक पाण्डेय एवं गौरव पूर्व में भी कई बार तिर्वा में मृतक शिवनाथ को मारने की नियत से पीछा किये थे।

अभिषेक पाण्डेय के आफर पर 1- गौरव कुमार प्रजापति पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 पैगल्टू थाना होडल जिला पलवल हरियाणा अपने साथी 2-शुभम उर्फ नवीन पुत्र सतवीर नि0 पैगल्टू थाना होडल जिला पलवल हरियाणा एवं 3- शोएब खान पुत्र मकसूद नि0 ग्राम सलोका थाना मुन्डकटी जिला पलवल हरियाणा दिनांक 12.09.2023 को किराये पर एक्सक्रोस कार लेकर तिर्वा पहुंचें। जब शिवनाथ मन्दिर से पूजा करके घर जा रहे थे तभी इन तीनों ने उनके पास गाडी रोककर प्रोपर्टी के काम के बहाने उनको गाडी में बिठा लिया और थाना तालग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत एक्सप्रेस वे किनारे गाडी के टूल बाक्स के पेचकस से तीनों बेहरहमी से एक के बाद बार करके शिवनाथ की हत्या कर शव को फेंक दिया, और बापस अपने गन्तव्य चले गये।

वांछित अभियुक्तगण:-

1-शोएब पुत्र मकसूद नि0 सलौखा नियर सरकारी स्कूल थाना जिला पलवल हरियाणा।

बरामदगी:-

- 1-घटना में प्रयुक्त एस0 क्रोस कार
- 2-घटना में प्रयुक्त पेचकस
- 3-घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-उ0नि0 कमल भाटी प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम	1-प्र0नि0 मदन गोपाल गुप्ता प्रभारी थाना तिर्वा
2-हे0का0 235 कुलदीप यादव सर्विलांस टीम	2-उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद थाना तिर्वा
3-हे0का0 196 सुधीर कुमार एस0ओ0जी0 टीम	3-उ0नि0 हृदय राज उपाध्याय थाना तिर्वा
4-हे0कां0 अब्दुल राशिद एस0ओ0जी0 टीम।	4-कां0 434 अमर सिंह थाना तिर्वा
5-हे0का0 267 दुष्यन्त यादव सर्विलांस टीम	5-हे0कां0 कृष्णपाल सिंह थाना तिर्वा
6-का0 373 मनीष कुमार सिंह एस0ओ0जी0 टीम	6-हे0कां0 परवेज खान थाना तिर्वा
7- का0 1120 गौरव कुमार एस0ओ0जी0 टीम	7-कां0 दिनेश कुमार थाना तिर्वा
8-कां0 आदित्य सिंह एस0ओ0जी0 टीम।	8-कां0 चालक पवन कुमार थाना तिर्वा
9-का0 1120 गौरव कुमार एस0ओ0जी0 टीम	
10-का0 501 विकास अग्रहरि एस0ओ0जी0 टीम	
11-का0 1050 लवी खारी एस0ओ0जी0 टीम	
12-का0 687 शिवराज यादव सर्विलांस टीम	